

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under Government consideration to open new ration shops in various backward areas of Andhra Pradesh to strengthen the Public Distribution system;

(b) what steps are being taken to enhance the PDS in rural areas of the State;

(c) what specific measures are proposed to ensure that card-holders belonging to lower income group are given their due rations at all fair price shops; and

(d) what are the details of directions passed on to State Governments in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : (a) to (d) The operational responsibility for implementation of the Public Distribution System (PDS) is that of the State Governments. The opening of Fair Price Shops in any part of the State is a matter within the administrative jurisdiction of the Government of Andhra Pradesh.

Strengthening and streamlining of PDS is a continuous process and discussions with the State Governments are held at the meetings of the Advisory Council on PDS and other fora. Under the Revamped Public Distribution System (RPDS), the Government of Andhra Pradesh have opened 362 additional Fair Price Shops in the Areas covered by DPAP and 11 DP. State Governments have also been requested to * deliver the PDS items at the doorsteps of the Fair Price Shops to ensure regular supply to consumers. Government of Andhra Pradesh provides foodgrains at specially subsidised rates to people whose annual income does not exceed Rs. 6000 per annum.

खाद्य तेल का उत्पादन

2430. श्री अजीत जोगी :

चौधरी हरि सिंह :

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तेल निकालने वाले उद्योगों का

आधुनिकीकरण न होने के कारण भारत में अन्य देशों की तुलना में कम तेल निकाला जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो भारत में और अन्य विकासशील देशों में निकाले जाने वाले तेल की मात्रा में अंतर का अनुपात कितना है;

(ग) क्या देश में उगाए जा रहे तिलहन में तेल की पर्याप्त मात्रा होती है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उद्योगपतियों को इस संबंध में अनुसंधान करने और नई प्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के संबंध में कोई योजना बनायी है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) देश से तिलहनों का निर्यात कब तक समाप्त किए जाने की सम्भावना है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्राणिय मंत्रालय में राज्य मंत्री का अनिश्चित प्रचार (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) जी नहीं। हालाँकि खली में बचे तेल के अंश की सीमा कुछ मामलों में 14% तक उंची हो सकती है, तथापि औसतन खली में तेल का अंश 7% से 8% के आस-पास होता है, जो कि अन्य देशों में उत्पादित तेल से अधिक भिन्न नहीं है।

(ग) तिलहन में तेल का अंश मूल रूप से एक जैव विशेषता होती है और विभिन्न देशों में उगाए जाने वाले तिलहनों के तेल के अंशों में कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं होता है।

(घ) शीर्ष निकाय के रूप में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संबद्ध कृषि विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान केन्द्रों में किए जा रहे अनुसंधान कार्य में सहायता देने के अलावा सरकार ने अनेक उपाय भी किए हैं, जैसे परिसरों में अनुसंधान व विकास एकक स्थापित करने के लिए उदार प्रोत्साहन देना, वित्तीय प्रोत्साहन देना, जिसमें कुछ उपकरणों के लिए जो देश में उपलब्ध नहीं हैं, और जिन्हें प्रौद्योगिकी में सुधार के लिए आवश्यक समझा जाता है, के आयात हेतु प्रोत्साहन देना शामिल है आदि।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) उस बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है।

उपभोक्ता सहाकारी समितियों को वित्तीय सहायता

2431. श्री ईशा दत्त यादव : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार उपभोक्ता सहाकारी समितियों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दे रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों में इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सहकारी समितियों को और अधिक प्रभावकारी बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार, शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी समितियों के विकास तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिताओं के जरिए उपभोक्ता वस्तुओं के

वितरण की दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत वर्ष 1991-92 तक सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता देती रही थी। उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किए गए निर्णय के अनुसरण में वे दोनों योजनाएँ राज्य क्षेत्र को अंतरित कर दी गई थीं। तथापि, केन्द्रीय सरकार की कोऑपरेटिव स्टोर लि., सुपर बाजार तथा भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लि., दिल्ली के विकास के लिए वे केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएँ चला रही हैं। इन योजनाओं के तहत दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। (नीचे देखिए)

(घ) सहकारिता राज्य का विषय है, अतः यह राज्य सरकारों पर है कि वे सहकारी समितियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएँ, जिसके लिए उन्हें पहले ही सलाह दी जा चुकी है।

विवरण

(लाख रु. में)

क्र. सं०	राज्य/संगठन	केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता		
		1990-91	1991-92	1992-93
1	2	3	4	5
I. शहरी				
1. आंध्र प्रदेश		15.72	22.90	—
2. असम		3.90	2.70	—
3. बिहार		0.60	0.60	—
4. गोवा		—	—	—
5. गुजरात		10.85	15.50	—
6. हरियाणा		—	—	—
7. हिमाचल प्रदेश		—	15.00	—
8. जम्मू व कश्मीर		10.00	7.80	—
9. कर्नाटक		11.70	60.20	—
10. केरल		4.50	3.90	—
11. मध्य प्रदेश		2.55	6.95	—
12. महाराष्ट्र		11.45	77.62	—
13. मणिपुर		1.35	—	—
14. मिजोरम		30.00	—	—
15. उड़ीसा		4.65	शून्य	—
16. राजस्थान		9.30	16.85	—
17. तमिलनाडु		17.05	1.80	—
18. उत्तर प्रदेश		17.15	1.20	—
19. पश्चिम बंगाल		15.25	6.60	—
20. अंडमान-निकोबार द्वीप समूह		9.10	—	—
21. दमन व दीव		3.90	—	—
II. ग्रामीण				
1. आंध्र प्रदेश		0.90	25.10	—
2. असम		6.60	5.20	—
3. गुजरात		8.00	—	—
4. हिमाचल प्रदेश		7.80	8.15	—
5. केरल		6.05	3.40	—

6. कर्नाटक	29.15	20.75	—
7. मध्य प्रदेश	53.50	60.70	—
8. एंजाब	0.70	3.15	—
9. राजस्थान	11.05	15.85	—
10. त्रिपुरा	1.35	—	—
11. तमिलनाडु	8.10	25.70	—
12. उत्तर प्रदेश	98.00	26.85	—
13. पश्चिम बंगाल	6.30	3.40	—
14. बिहार	—	—	—
15. महाराष्ट्र	—	1.10	—
16. नागालैण्ड	—	0.80	—
III. मुपर बाजार	40.00	76.00	36.80
IV. एन. सी. सी. एक.	450.00	148.50	207.00

State of P. D. S. in Delhi

2432. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI:
SHRI RAM SINH RATHWA:

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the fair price shopkeepers of Delhi are not distributing rice and sugar under P. D. S. and public are not getting their quota on time and in many cases the quality is substandard and also the F. P. S. Shopkeepers are directly selling P. D. S. items to hotels and restaurants; on profitable rate;

(b) whether the Government have made any arrangement to provide items to the people properly and on time under P. D. S.; and

(c) what are the details of quantity of PDS items supplied to shopkeepers area-wise in Delhi, New Delhi ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) The Government of National Capital Territory (NCT) of Delhi has reported that the consumers of Delhi are generally getting foodgrains (rice and wheat) and sugar distributed through the Fair Price Shops (FPS) in time. The FPSs are required to bring to the notice of the Department the bad quality or poor quality of specified food articles for investigation and replacement, if necessary. No complaint regarding sale of PDS by FPS holders directly to hotels and restaurants have come to the notice of the Administration.

(b) and (c) The Govt. of NCT of Delhi

makes arrangements to ensure that the PDS items of proper quality are made available to the card holders. A statement showing the lifting of rice, wheat, sugar from April, 1992 to June, 1993 is given in Statement (*See below*). Area-wise details of quantities supplied are not maintained by the Central Government.

Statement

Monthwise lifting of Wheat, Rice and Sugar distributed through P. D. S. in Delhi

(in 'XX) tonnes)

Month	Wheat	Rice	Sugar * Allocation
April, 1992	65.80	14.90	9.16
May, 1992	63.30	13.50	9.16
June, 1992	59.10	11.70	9.16
July, 1992	66.20	15.70	9.16
August, 1992	65.60	14.80	9.16
September, 1992	49.50	14.70	10.27
October, 1992	63.50	12.90	10.36
November, 1992	66.90	14.80	9.16
December, 1992	62.70	12.30	9.16
January, 1993	60.60	12.60	9.16
February, 1993	44.70	10.80	9.16
March, 1993	38.90	9.90	9.16
April, 1993	33.80	9.30	9.16
May, 1993	27.70	11.40	9.16
June, 1993	32.10	11.10	9.16

* Lifting is nearly 100%.

Amendment to Essential Commodities Act

2433. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to amend the Essential Commodities Act